संकल्प संख्या– वि॰प्रा॰ (II) व^{2}–21/ 2011–   /पटना, दिनांक–

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

विषयः– पटना में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के साइंस सिटी के निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं इस हेतु "मास्टर प्लान कन्सलटेंट" के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ करने की स्वीकृति के संबंध में।

1. राज्य के छात्र/छात्राओं में विज्ञान के प्रति अभिरूची पैदा करने तथा वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित किये गए सिद्धान्तों का आम जन जीवन में हो रहे प्रयोगों को प्रदर्शित करने हेतु पटना में उपलब्ध कराये गए 15 (पन्द्रह) एकड़ भूमि पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के साइंस सिटी का निर्माण तथा साइंस सिटी को अन्तर्राष्ट्रीय मानक के स्तर पर परिकल्पना, निर्माण एवं विकास हेतु मास्टर प्लान कन्सलटेंट की नियुक्ति का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।
2. पटना साइंस सिटी में, वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित अत्याधुनिक प्रदर्श दीर्घा एवं खंडों का निर्माण किया जायेगा।
3. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने पटना साइंस सिटी के निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति एवम् इस हेतु "मास्टर प्लान कन्सलटेंट" के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ करने करने का निर्णय लिया है।
4. मास्टर प्लान कन्सलटेंट की नियुक्ति हेतु अभिव्यक्ति की अभिरूची/प्रस्ताव हेतु अनुरोध (EoI/RFP) का प्रारूप आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के माध्यम से तैयार कराया जायेगा तथा इसका विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित किये जायेगें। बिहार वित्त संशोधन (नियमावली) 2005 के नियम–131 (Part-II) में निहित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए मास्टर प्लान कन्सलटेंट के चयन को अंतिम रूप दिया जायेगा। मास्टर प्लान कन्सलटेंट से किये जाने वाले एग्रीमेंट के प्रारूप पर विधि विभाग का परामर्श प्राप्त कर एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।
5. मास्टर प्लान कन्सलटेंट द्वारा निम्नांकित कार्य सम्पादित किये जायेगें–

   (i) नीड्स एनालिसिस

   (ii) ब्रीफ फॉर आर्किटेक्ट ऐंड मेथडोलॉजी फॉर सेलेक्सन

   (iii) आर्किटेक्ट के चयन हेतु अन्तराष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता का आयोजन

   (iv) बेस्ट प्रैक्टिस कमपरेटिभ एनालिसिस

   (v) इन्स्टीच्यूशनल प्लान

   (vi) बाजार सर्वेक्षण

   (vii) कलेक्सन एनालिसिस

   (viii) इन्टरप्रेटिव प्लान

   (ix) पब्लिक प्रोग्राम प्लान

(x) स्टाफिंग एण्ड आपरेशंस प्लान

(xi) फेसिलीटी स्ट्रेटजी

(xii) फिनान्सियल मॉडल

(xiii) ब्रीफ फॉर एक्जिबिशन डिजाइनर एंड मेथडलॉजी फॉर सेलेक्शन

(xiv) फीजीबिलिटी रिपोर्ट

6. उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त मास्टर प्लान कन्सलटेंट द्वारा निम्नांकित कार्य भी किये जायेगें–

(क) डिजाईन प्रतियोगिता के आधार पर समर्पित विकल्पों को अंतिमीकृत करते हुए राज्य सरकार द्वारा चयनित डिजाईन विकल्प के आलोक में प्रतिष्ठित एवं अनुभवी वास्तुविद् की नियुक्ति में भवन निर्माण विभाग को सहयोग प्रदान किया जायेगा

(ख) प्रदर्शन अभिकल्पक (Exhibition Designer) के चयन में प्रशासी विभाग को सहयोग प्रदान किया जायेगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/ –
(रामएकबाल शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।